

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

उ.ग.म.बा.इ.

बनाम

सत्यनाशरण

रस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 178/2023

रीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15/06/23

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री/श्रीमती उ.ग.म.बा.इ.

पिता श्री मोहम्मद लाल मदान

निवासी- विजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

विजयपुर स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 730

0.0600

कुल कीता 1 कुल रकबा 0.0600 हे० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम विजयपुर (तह. कल्याण) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 730 रकबा 0.0600

कुल कीता 1 रकबा 0.0600 हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500.00 रुपये अक्षर पञ्च प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

रामचन्द्र खटीक

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़